भूमि और विकास कार्यालय

भूमि और विकास कार्यालय पट्टा, बिक्री, मोर्टगेज, प्रतिस्थापन, मुटेशन आदि सहित भारत सरकार के भूमि संपदा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है । दिल्ली में ही सरकारी भूमि के लगभग 60,000 पट्टाधारी हैं ।

इसके अतिरिक्त, भूमि और विकास कार्यालय निम्नलिखित कार्य करता है:

- केन्द्र सरकार की भूमि का रिकार्ड रखना;
- मंत्रालय के निदेश के तहत विभिन्न सरकारी/ अर्द्ध-सरकारी विभागों और संस्थानों को भूमि का आवंटन ;
- मंत्रालय के निदेश के तहत अपने अधीन खाली भूमि और निर्मित संपत्तियों की नीलामी;
- ऐसी संपत्ति पर पट्टा प्रभार, भूमि किराया, क्षति आदि की वसूल;
- लीज होल्ड रिहायशी संपत्तियों को फ्री होल्ड में परिवर्तित करना; और
- ऐसी भूमि पर अतिक्रमण हटाना ।

भूमि और विकास कार्यालय ने पट्टाधारियों के लाभ के लिए निर्माण भवन के भूमि तल पर सूचना सुविधा केन्द्र(आईएफसी) खोल दिया है ।